

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

: आदेश :

संख्या-9/पद-05-02/2007 (खण्ड), सा0प्र0 3523/पटना-15 दिनांक 13-2-19

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नांकित कर्मियों को दिनांक-21.03.2019 से 24.03.2019 तक होली के अवकाश में मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्य व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन हेतु मुख्यमंत्री सचिवालय में निम्न विवरणी के अनुसार प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र0	नाम	पदनाम	विभाग/क्यालय का नाम
1	श्री मो0 इरफान आलम	प्रधान आप्त सचिव	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना (अपर विभागीय जॉच आयुक्त के साथ)
2	श्री जनार्दन प्रसाद	प्रधान आप्त सचिव	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
3	श्री बिन्देश्वर चौधरी	प्रधान आप्त सचिव	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना
4	श्री मो0 अफजल अहमद	आप्त सचिव	पंचायती राज विभाग बिहार, पटना
5	श्री अमरेश कुमार	आप्त सचिव	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
6	श्री अबु हारिस रजा अबु कैश	आप्त सचिव	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना
7	श्री उपेन्द्र कुमार	आप्त सचिव	समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना
8	श्री मो0 इरफान अहमद	निजी सहायक	शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ।
9	श्री नील कमल	आशुलिपिक	खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना
10	श्री मो0 सोहैल	आशुलिपिक	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
11	श्री संजीव कुमार	आशुलिपिक	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना
12	श्री संजय सिंह	आशुलिपिक	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

2. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त कर्मी दिनांक 14.03.2019 तक निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।


3. उक्त कर्मियों को वित्त विभाग के परिपत्र सं0-10281 दिनांक-27.09.1973 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान के आलोक में क्षतिपूरक छुट्टी का लाभ अनुमान्य होगा।


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-9/पद-05-02/2007 (खण्ड), सा0प्र0 3523/पटना-15 दिनांक 13-3-19

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जल संसाधन विभाग/ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/ पंचायती राज विभाग बिहार, पटना/ भवन निर्माण विभाग/ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/ समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ शिक्षा विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित कर्मी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।